THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) A similar provision already exists in the Code of Criminal Procedure Section 125 (I) (d) which makes it incumbent for a person having sufficient means to maintain his father or mother who is unable to maintain himself or herself.

हिमालय क्षेत्र में धातुओं के भंडार

1719. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व हुए सर्वेक्षण के दौरान हिमालय क्षेत्र में अनेक बहुमूल्य धातुओं के भंडार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में किस-किस स्थान पर कौन-कौन सी धातु होने का पता चला है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नरौल नामक स्थान पर तांबे का भंडार है; और

(घ) यदि हां, तो वहां तांबा वेधन तथा उसकी खोज कार्य पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हिमालय क्षेत्र में कीमती धातुओं के किसी निक्षेप का पता नहीं चला है। तथापि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में हिमालय की पहाड़ियों के समीप शिवालिक क्षेत्र में स्वर्ण होने का पता चला है।

(ख) और (ग) योगीनन्द, (सिरमूर जिला) धर्मपुर, सर्काघाट (मंडी जिला), बासोली बरूही, मुबारकपुर (ऊना जिला), सीर खाद, सुकर खाद टुंगी, मालारी (बिलासपुर जिला), नादौन, तिरा-सुजानपुर (हमीरपुर जिला), सिरा थैर (कांगड़ा जिला), बेल (कुल्लू जिला), दातानगर, नोरली (शिमला जिला) और कारचम (किन्नौर जिला) में स्वर्ण, उचीच, कुल्लू जिले में सीसे सहित चांदी और नाकल, कुल्लू जिले के क्षेत्र में तांबे का पता चला है।

(घ) उक्त गवेषण कार्य पर 23 लाख रु० (लगभग) व्यय हुए। गवेषण कार्य से 3.86 मी० चौड़े और 180 मी० लम्बे क्षेत्र में 1.11% तांबा सहित कुल्लू जिले में नाटूल क्षेत्र में तांबे का पता चला है।

Non-Implementation of Wage Revision and New DA Formula in CPSUs

1720. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 773 given in the Rajya Sabha on 22nd July, 1996 and state:

(a) whether Government are aware that non-implementation of wage revision and new DA formula in more than sixty CPSUs till date is creating a lot of industrial unrest and hardships to the workers;

(b) whether the guidelines of Department of Public Enterprises are being treated as 'prohibitive' by the management to settle wage revision; and

(c) the specific interventions of Labour Ministry to minimise the hardship to the workers and to avoid industrial unrest?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Government vide Deptt. of Public Enterprises O.Ms. dated 12.4.93 and 17.1.94 have delegated full autonomy to public sector enterprises for concluding long term wage agreements with their workers union in accordance with the prescribed parameters. The new DA formula has been extended to the unionised staff and workers in PSUs vide DPEs O.M. dated 29.9.95. Revision of wages is therefore done by managements of individual undertakings in accordance with outcome of their negotiations and within the parameters laid down by the above Government guidelines.